न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 65 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कायम खां पुत्र अली खां
2. जामीन खा पुत्र अली खां
3. खैरदीन पुत्र अली खां
4. निजाम खां पुत्र अली खां जाति मुसलमान निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मंगलाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी खरटिया तहसील बाड़मेर
2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 88 / 2006 बअनवान कायम खां वगैरह बनाम मंगलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 24.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्तागण के पिता मुतवफी आली खां पुत्र खण्डु खां की खातेदारी में मौजा आंरग तहसील शिव में खातेदारी के खेत खसरा संख्या 154, 356, 360, 362 व ढाणी खसरा संख्या 359 रकबा 555.17 बीघा आये हुए थे। उपरोक्त आराजी के अतिरिक्ता मौजा धारवी कल्ला में भी 146.01 बीघा भूमि खातेदारी में आई हुई थी। अपीलांगण के पिता के विरूद्ध सिलिंग नियमों के अन्तर्गत एक प्रकरण पेश हुआ जिसमें अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांटगण के पिता को होने पर माननीय जिला कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में अपील पेश की गई तथा प्रकरण का पुनः रिमाण्ड किया गया। इस दरम्यान अपीलकर्ता के पिता से बिना विकल्प प्राप्त किये खसरा संख्या 362 में सिलिंग प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.05.1975 की पालना में अपीलकर्ता के पिता के खाते से रकबा 117.17 बीघा कम कर उसमें से 100 बीघा उतरदाता संख्या 01 को आंवटित कर दी। दूसरी और प्रकरण रिमाण्ड होने पर प्राधिकृत अधिकारी ने पुनः सिलिंग प्रकरण की जांच हेतु नये खसरा संख्या 1 / 78 पर दर्ज किया तथा बाद जांच दिनांक 13.09.1978 को अपीलकर्ता के पिता के पक्ष में आदेश पारित करके दिनांक 15.05.1975 का आदेश जिससे रकबा 117.17 बीघा अधिग्रहित किया था जो निरस्त कर भूमि का कब्जा वापिस लौटाने के आदेश पारित किये साथ ही अपीलकर्तागण के वालिद के साथ तहसीलदार शिव को आदेश दिये कि वे आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करे। तहसीलदार शिव व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 ने प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.09.1978 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय दिनांक 13.09.1978 अंतिम निर्णय है। जिसकी पालना तहसीलदार शिव के लिए बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में अपीलकर्तागण द्वारा भूमि आंवटन निरस्त करने के लिए बार बार आवेदन पेश किये गये है जिन्हे खारिज भी किया जा चुका है अब अपीलकर्तागण द्वारा इन्ही आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया है जो रेस ज्युडिकेटा की तारीफ में आने से चलने योग्य नहीं है। जो आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत से ही अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित करवायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलांगण के पिता के विरूद्ध सिलिंग नियमों के अन्तर्गत एक प्रकरण पेश हुआ जिसमें अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांटगण के पिता को होने पर माननीय जिला कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में अपील पेश की गई तथा प्रकरण का पुनः रिमाण्ड किया गया। इस दरम्यान अपीलकर्ता के पिता से बिना विकल्प प्राप्त किये खसरा संख्या 362 में सिलिंग प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.05.1975 की पालना में अपीलकर्ता के पिता के खाते से रकबा 117.17 बीघा कम कर उसमें से 100 बीघा उतरदाता संख्या 01 को आंवटित कर दी। दूसरी और प्रकरण रिमाण्ड होने पर प्राधिकृत अधिकारी ने पुनः सिलिंग प्रकरण की जांच हेतु नये खसरा संख्या 1/78 पर दर्ज किया तथा बाद जांच दिनांक 13.09.1978 को अपीलकर्ता के पिता के पक्ष में आदेश पारित करके दिनांक 15.05.1975 का आदेश जिससे रकबा 117.17 बीघा अधिग्रहित किया था जो निरस्त कर भूमि का कब्जा वापिस लौटाने के आदेश पारित किये साथ ही अपीलकर्तागण के वालिद के साथ तहसीलदार शिव को आदेश दिये कि वे आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करे। तहसीलदार शिव व प्रतिवादी संख्या 01 ने प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.09.1978 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय दिनांक 13.09.1978 अंतिम निर्णय है। जिसकी पालना तहसीलदार शिव के लिए बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में अपीलकर्तागण द्वारा भूमि आंवटन निरस्त

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने के लिए बार बार आवेदन पेश किये गये है जिन्हे खारिज भी किया जा चुका है अब अपीलकर्तागण द्वारा इन्ही आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया है जो रेस ज्युडिकेटा की तारीफ में आने से चलने योग्य नहीं है। जो आदेश विधि सम्मत नहीं है। दिनांक 18.09.2005 को भू अभिलेख निरीक्षक बाड़मेर ने न्यायालय के आदेश से वादग्रस्त खेतों का मौका देखकर कब्जा रिर्पोट भी तैयार की गई जिसके अनुसार भौतिक कब्जा व मौके की काश्त अपीलकर्तागण की लगातार है तथा साथ ही अपीलकर्तागण के रहवासी झोंपे व टांके बने हुए है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उतरदाता संख्या 01 के पक्ष में किया गया आवंटन प्रभाव में नहीं आया तथा आवंटन से आज दिन तक उक्त खसरों की भूमि पर उतरदाता संख्या 01 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अधिकार समाप्त हो गये है। तथा अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत से ही अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित करवायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षय को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। सीलींग प्रकरण संख्या 808/1974 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.1975 की पालना में अपीलांट के पिता अली खां की 117.17 बीघा भूमि अवाप्त की गई उसके बाद मंगलाराम को 100 बीघा भूमि आवंटित की गई। अपीलांट द्वारा उपर कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में रेस्पोडेंट के विरूद्ध 14(4) का आवेदन पेश किया गया जिसको न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर खारिज किया गया तथा उस आदेश के विरूद्ध आज तक सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की गई। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रख कर हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

सिलिंग एक्ट की धारा 37
CCC 1997(1) Page 223
RLW 2008(3) SC Page 2224
RRT 2004(2) Page 995

अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा के खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी को लेकर रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया आवंटन आज भी यथावत है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेंट को किये गये आवंटन के विरूद्ध आवेदन बाबत 14(4) अपर कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में पेश किये गये थे जो बाद सुनवाई गुणावगुण पर खारिज किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील पेश नहीं की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 88/2006 बअनवान कायम खां वगैरह बनाम मंगलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2011 को यथावत रखा जाता है। अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय चाराजोही करने की स्वतंत्रता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

24/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner